न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती बिन्दु बाला राजावत, आर.ए.एस.
पत्रावली संख्या. 10/2019
विषय :– प्रार्थना – पत्र
दायर दिनांक : 21.01.2019

अनवान

1. माधुलाल पिता गोदा जी जाति ब्राह्मण तहसील रेलमगरा जिला राजसमद।
2. नाथुलाल पिता गोदा जी जाति ब्राह्मण तहसील रेलमगरा जिला राजसमद। –प्रार्थी

बनाम

1. किशना पिता हीरा जाट निवासी चराणा तहसील रेलमगरा।
   1/1. जगदीश पिता किशना जाट निवासी चराणा तहसील रेलमगरा।
   1/2. मनोहरलाल पिता किशना जाट निवासी चराणा तहसील रेलमगरा।
   1/3. गोपीलाल पिता किशना जाट निवासी चराणा तहसील रेलमगरा।
   1/4. आणछी पिता किशना जाट निवासी चराणा तहसील रेलमगरा।
2. शंकरी पिता डालू जाति जाट उम्र वयस्क निवासी चराणा हाल निवासी उसरोल तहसील भूपालसागर जिला चितौडगए।
3. लदुलाल पिता किशना जाट निवासी चराणा तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद। –विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति –1. श्री राकेश सनाढ्य, अधिवक्ता वादीगण।
2. श्री राज कुमार जोशी, अधिवक्ता विपक्षीगण।

निर्णय

दिनांक 07.01.2026

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम चराणा तहसील रेलमगरा में आराजी संख्या 2586 रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा भूमि स्थित है। जो प्रार्थीगण के नाम दर्ज है। प्रमाण में जमाबंदी की प्रमाणित प्रति साथ संलग्न है। प्रार्थीगण अपनी आराजी संख्या 2586 में आने जाने हल, बैल, बैलगाडी, ट्रेक्टर आदि लाने ले जाने हेतु विपक्षीगण की आराजी संख्या 2580, 2542 व 1257 होकर जाता है। प्रार्थीगण उक्त रास्ते के अलावा उक्त आराजीयात् मे आने जाने हल बैल बैलगाडी लाने ले जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर विद्यमान नहीं है तथा प्रार्थीगण उक्त कदीमी रास्ते का ही उपयोग उपभोग कृषि कार्य अपने पूर्वजों के समय से साधिकार पूर्वक करता चला आ रहा है। जो प्रार्थीगण उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग अपनी भूमि खरीद की दिनांक से करता चला आ रहा है। प्रार्थीगण का अपने उक्त खेतो में आने जाने का यही एममात्र रास्ता है। इसके अलावा कोई दूसरा रासता मौके पर मौजूद नहीं है। उक्त कदीमी रास्ता मौके पर 12 फीट चौडाई का मौजुद है। आराजी संख्या 2580 वर्तमान में विपक्षीगण के नाम पर राजस्व रेकर्ड में जर्द होने से विपक्षी के अधिनस्थ कर्मचारी द्वारा बार बार रोक टोक करने एवं अवैध कार्यवाही की प्रार्थीगण को धमकियां देने की वजह से उक्त कदीमि रास्ते का उपयोग उपभोग में व्यवधान बाधा रूकावट कारित होती है तथा प्रार्थी को अपनी उक्त आराजी में आने जाने हेतु उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैल्पिक रास्ता विद्यमान नहीं है। प्रार्थी को उक्त रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है। विपक्षी प्रार्थी को लगातार रास्ते में बाधा कारित कर रहे है तथा आज से दो माह पूर्व विपक्षी के अधिनस्थ कर्मचारी ने आराजी संख्या 2580 में उक्त रास्ते को बंद करने की व अवैधकार्यवाही करने की धमकिया देने से प्रार्थना पत्र का हेतुक उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विरूद्व राजस्थान राज्य तहसीलदार महोदय के विरूद्व प्रस्तुत करने से पूर्व धारा 80 सीपीसी का सूचना पत्र देना आवश्यक होता है परन्तु मामला आवश्यक प्रकृति का पाया जाने से धारा 80(2) का प्रार्थना पत्र वाद की स्वीकृति वावत् प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। वादग्रस्त जायदाद एवं पक्षकार का न्यायालय आपके क्षैत्राधिकार में होने से प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार एवं क्षैत्राधिकार में होने से प्रार्थना पत्र का श्रीमान् के सक्षम प्रस्तुत है। प्रार्थना पत्र निश्चित न्यायशुल्क 1/– रूपये पर पेश है। प्रार्थीगण अपनी आराजी संख्या में आने जाने हल बैल बैलगाडी ट्रेक्टर आदि लाने ले जाने हेतु आम सडक से उक्त प्रार्थी आराजी के ठीक सामने अर्थात् दक्षिण दिशा में विपक्षी की आराजी संख्या 2580 स्थित है। प्रार्थीगण आम सडक से विपक्षीगण की आराजी संख्या में दक्षिण से उत्तर की और अग्रसर होता हुआ, प्रार्थीगण अपनी आराजी संख्या में प्रवेश करता है। प्रार्थी को 12 फीट चौडा लंबा सम्पुर्ण रास्ता दिलवाई जाने का आदेश प्रदान करवाया जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर को जरिये विपक्षीगण को नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण की और से अधिवक्ता श्री राज कुमार जोशी ने वकालतनामा मय जवाव पेश किया गया जो शामिल फाईल। तहसीलदार रेलमगरा की और से जांच रिपोर्ट पेश की गई। जो शामिल फाईल की गई। जिसका विवरण निम्नानुसार है – 1. प्रार्थी के खेत पर जाने–आने के लिए मांगा गया रास्ता केवल सुविधा के लिए मांगा जा रहा है। 2. प्रार्थी ने आराजी संख्या 2580 के दक्षिण पाली पर पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा में 12 फीट चौडा एवं सम्पूर्ण लम्वाई में रास्ता चाहा गया है। जवकि आराजी नंबर 2580 की दक्षिणी पाली की सटमी सीमा से प्रार्थीगण की सहखातेदारी से भूमि आराजी संख्या 2579 की भूमि दर्ज रेकर्ड हैं। जिसकी जमाबंदी की नकल व नक्शा ट्रेस साथ संलग्न है। वर्तमान में आराजी नंवर 2579, 2594 व 2592 की उत्तरी सीमा की पाली व कुए के फेरे से होकर आराजी संख्या 2586 की भूमि में आवाजाही चालु है। अधिवक्ता पक्षकारान् की बहस सूनी गई।

पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावजों, विपक्षीगण का जवाव, तहसीलदार की जाच रिपोर्ट एवं अधिवक्ता पक्षकारान् की बहस आदि का अवलोकन करने से जाहिर होता है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया उचित प्रतीत होता है। अतः आदेश दिया जाता है कि –

–: आदेश :–

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना – पत्र अन्तर्गत धारा– 251 ए राजस्थान टिनेन्सी एक्ट को अपने पक्ष में साबित कराने में असफल रहे। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना – पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 07.01.2026 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(बिन्दु बाला राजावत, RAS)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड
अधिकारी रेलमगरा (राजसमंद)

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा